

10/10/24

अधिवक्ता उभयपक्ष उपास्थित प्रकरण में अधिवक्ता  
अपीलेंट को रैस्पी. संख्या 01 व 05 के नोटिस पेश  
करने हेतु आदेशित दिनांक 07/07/2022 के पक्षगत  
आप पेशी तक कई बार अवसर प्रदान किये गये  
हैं। किन्तु अपीलेंट द्वारा आप दिनांक तक न्यायालय  
के आदेशों की पालना में नोटिस पेश नहीं किये  
हैं अपीलेंट का उपरोक्त कृत्य न्यायालय के आदेशों  
की अवहेलना की श्रेणी में परिलक्षित होगा है। अतः  
न्यायालय के आदेशों की निरन्तर अवहेलना किये  
जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अद्यतन तकमील में  
आरिष की जाती है। पञ्चवली प्रेमल कुमार तौर  
बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व दफ्तर ले।

